सत्यमेव जयते

Case No. 515 /2023

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

## Summons

**फाइल. सं. NCST/SER-822/DL/38/2023-SSW**

प्रो. गिरीश नाथ झा
अध्यक्ष
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
शिक्षा मंत्रालय
पश्चिमी खंड – 7 , आर. के. पुरम, सेक्टर-1
नई दिल्ली- 110066
ई मेल :- chairman-cstt@gov.in, फोन – 20867172

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क केअंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामले का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अत: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष **दिनांक 15.06.2023 को 02:30 बजे,** आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एततद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

**मामलें का सन्दर्भ:-** अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को तृतीय एम.ए.सी.पी तथा पदोन्नति दिलाने के संबंध में - श्री मोहन लाल मीणा, सहायक निदेशक, दिल्ली का दिनांक 30.12.2022 का अभ्यावेदन।

**सन्दर्भ :** वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली पत्र सं **1-11/95-Estt. (Part File)** दिनांक 19.04.2023

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक **05.06.2023** को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर
न्यायालय अधिकारी

मोहर

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003